सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कैसे आवेदन करें

आरटीआई एक्ट के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जा सकता है।

- सूचना प्राप्त करने हेतु प्रति अनुरोध फीस रू.10/- है।
- भाअजप्रा में संबंधित जन सूचना अधिकारी को सीधे अपेक्षित फीस के साथ-साथ डाक द्वारा आवेदन/अनुरोध भेजा जा सकता है। 05 जनसूचना अधिकारियों के नाम तथा उनके अधिकार क्षेत्र वेबसाइट में दिए गए हैं।
- आवेदन के साथ-साथ अपेक्षित फीस नोएडा डाकघर में देय भाअजप्रा निधि के पक्ष में **भारतीय पोस्टल आदेश** के रूप में अदा किया जा सकेगा। फीस भाअजप्रा निधि के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर चैक द्वारा भी अदा की जा सकती है।
- आरटीआई एक्ट के तहत फीस आदि से संबंधित नियमावली एवं विनियमनों के संबंध में विवरण कार्मिक, जन शिकायत मंत्रालय एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण के पेंशन विभाग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।